न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 11/2019

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 कमलादेवी पुत्री देदाराम पत्नी धन्नाराम जाति जाट मूल निवासी भाड़खा हाल निवासी तेजाणियों की ढाणी, खारिया तला भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 सरपंच ग्राम पंचायत भाड़खा 2 धन्नाराम 2 जेठाराम पिसरान देदाराम 3 वीरोंदेवी पत्नी देदाराम 5 गोरखाराम पुत्र दुर्गाराम 6 राधा पत्नी जेठाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री उगराराम सहारण, वकील अपीलकर्ता।

आदेश

दिनांक 17-2-21

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 05 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 697/663 रकबा 78.15 बीघा, खसरा संख्या 699/663 रकबा 08.10 बीघा, खसरा संख्या 701/663 रकबा 02.10 बीघा कुल रकबा 89.15 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलान्ट के पिता देदाराम का स्वर्गवास दिनांक 01.07.1999 को हो गया जिसका फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 27.03.2000 को स्वीकृत कर पटवार हल्का तथा आर. आई से मिलावट कर उतरदाता संख्या 02 से 05 ने अपने नाम से पारित करवा दिया, जबकि अपीलान्ट भी देदा की जायन्दा पुत्री है। अपीलान्ट को उक्त गलत नामान्तकरण का ज्ञान होने पर दिनांक 26.08.2019 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी होने से राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की और यह अपील प्रस्तुत की, जो अन्दर म्याद सुमार की जाकर नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 27.03.2000 खारिज फरमाया जावे तथा अपीलान्ट का नाम भी जमाबन्दी में अंकित किया जावें।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया कि अपीलान्ट अपनढ, ग्रामीण परिवेश की सीधी–साधी महिला है, जिसे राजस्व अभिलेख के तकनीकियों का ज्ञान नही होने से वक्त नामान्तकरण उसके नाम नामान्तकरण पारित नही हो सका। लगभग 15 दिन पूर्व पटवारी हल्का से नामान्तकरण की नकल प्राप्त होने पर उसका नाम नही होने की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपीलकर्ता मृतक देदाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसके नाम नामान्तकरण पारित किया जाना न्यायोचित था, परन्तु ऐसा नही कर कानून की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अवहेलना की गई है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता मृतक देदाराम की पुत्री होने के नाते नामान्तकरण की कार्रवाई के दौरान उसे भी तलब किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नही किया गया। वकील अपीलकर्ता के इस तर्क से भी हम सहमत है कि अपीलान्ट अपनढ, ग्रामीण परिवेश की सीधी-साधी महिला है। राजस्व अभिलेख की तकनिकी बारिकियों का ज्ञान नही होने से वक्त नामान्तकरण उसके नाम नामान्तकरण पारित नही होने का ज्ञान नही हो सका। लिहाजा अपील म्याद सुमार की जाती है।

वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता देदाराम की विधिक वारिसान होने से उसका नाम नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 27.03.2000 में अंकित किया जाना न्यायोचित था, परन्तु नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 27.03.2000 को परित करते वक्त अपीलकर्ता का नाम अपीलाधीन भूमि में अंकित नही किया गया। लिहाजा उक्त नामान्तकण निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाकर अपीलाधीन भूमि में अपीलकर्ता का नाम दर्ज करते हुए नये सिरे से देदाराम के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण पारित करने का निवेदन किया।

वकील अपीलकर्ता को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलाधीन भूमि में स्वर्गीय देदाराम की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 27.03.2000 में अपीलकर्ता का नाम दर्ज होना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलकर्ता का नाम दर्ज नही कर कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 697/663 रकबा 78.15 बीघा, खसरा संख्या 699/663 रकबा 08.10 बीघा, खसरा संख्या 701/663 रकबा 02.10 बीघा कुल रकबा 89.15 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 27.03.2000 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट कमलोदेवी के अतिरिक्त अन्य कोई भी विधिक वारिसान् हो तो उसकी जांच कर बाद [illegible] देदाराम के सभी विधिक वारिसानों के नाम नये सिरे से [illegible] पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:08:49 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17.2.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

नि० 'ए' तलफ किया गया